बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश

आ0सं0-11/विविध-03-01/2015...5526 **पटना, दिनांक- 13.10.16**

प्रस्तुत आदेश मेसर्स सागर कंस्ट्रक्शन के अपील आवेदन के आलोक में पारित किया जा रहा है, जिस आवेदन में बिहार ठेकादारी निबंधन नियमावली-2007 के अंतर्गत अभियंता प्रमुख (दक्षिण) के आदेश ज्ञापांक 116 दिनांक 07/3/2016 द्वारा पारित आदेश कि मेसर्स सागर कंस्ट्रक्शन, ग्राम-लोदीपुर, पो0-बड़गांव, जिला-गया निबंधन संख्या- 35/2014 (प्रथम श्रेणी) एवं उनके सभी पार्टनर को काली सूची में डालने का आदेश निर्गत है, को निरस्त करने का निवेदन है।

अपीलकर्ता यथा मेसर्स सागर कंस्ट्रक्शन की तरफ से अपने अपील आवेदन में मुख्य बिन्दु यह उठाया गया है कि जिस आरोप के आधार पर इनके निबंधन को कालीकृत किया गया है उसके लिए वे निजी तौर पर दोषी नहीं हैं एवं निविदा प्रक्रिया में जो त्रुटि परिलक्षित हुई है वह परिस्थितिजन्य कारणों से हुई है।

मामले की पृष्ठभूमि यह है कि निविदा संख्या- 01/ 2014-15 के तकनीकी मूल्यांकन में यह पाया गया कि मेसर्स सागर कंस्ट्रक्शन जो इस निविदा में निविदाकार है, द्वारा प्लांटस एवं मशीनरी के उपलब्धता के संबंध में कतिपय कागजात समर्पित किए गए जो सक्षम पदाधिकारी के माध्यम से सत्यापन कराये जाने पर जाली पाया गया। जो कागजात जांच में जाली पाये गये हैं वे ट्रक एवं डम्फर से संबंधित कागजात हैं और ये मशीनरी मेसर्स सागर कंस्ट्रक्शन के नाम निबंधित होने का उल्लेख प्रासंगिक कागजातों में है।

अपील की सुनवाई के क्रम में इस बिन्दु की समीक्षा हेतु कि जाली पाये गये कागजातों को निविदा अभिलेखों में शामिल करने के लिए अपीलकर्ता किस हद तक दोषी हैं, निदेशक फॉरेन्सिक साईंस लेबोरेट्री से इन कागजातों पर फर्म के पार्टनर के हस्ताक्षर को उनके मूल हस्ताक्षर से मिलान कर मंतव्य देने का अनुरोध पत्रांक 4611 दिनांक 23/08/2016 द्वारा किया गया था। उक्त अनुरोध के उत्तर में पुलिस प्रयोगशाला के पत्रांक 320 दिनांक 02/09/2016 द्वारा यह सूचित किया गया कि मूल रूप में किए गए हस्ताक्षर की ही सत्यता की जांच प्रयोगशाला द्वारा की जा सकती है। हस्ताक्षर की छायाप्रति के आधार पर सत्यता की जांच करना संभव नहीं है। अपील की सुनवाई के क्रम में यह पता लगाने का भी प्रयास किया गया कि ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया में संवेदक अपने निविदा कागजात की मूल प्रति समर्पित करते हैं या नहीं, जिसके बारे में यह बताया गया कि वर्तमान में निविदा कागजातों की मूल प्रति समर्पित करने की व्यवस्था नहीं है। निविदा अभिलेखों की मूल प्रति के अभाव में संवेदक के हस्ताक्षर में उनकी स्पष्ट सहभागिता के बारे में मंतव्य कायम करना संभव नहीं हो सकेगा।

अपील आवेदन में तथा सुनवाई के क्रम में संवेदक द्वारा मुख्य रूप से यह बिन्दु उठाया गया है कि निविदा कागजातों में मशीन एवं उपकरणों की उपलब्धता हेतु संवेदक को एक हलफनामा देना पड़ता है जो हलफनामा उनके द्वारा नोटरी के समक्ष दिया गया है तथा जिसे कार्यपालक अभियंता द्वारा दिनांक 25/11/2014 को अभिप्रमाणित किया गया है। उस हलफनामा में संवेदक द्वारा कुल 12 (बारह) मशीन एवं उपकरण का उल्लेख किया गया है और उन उपकरणों के लीज से संबंधित कागजात को निविदा के साथ संलग्न किया गया है। संवेदक का यह कहना है कि जो उपकरण उनके हलफनामे में उल्लिखित नहीं है उनसे संबंधित कागाजात के आधार उनका कोई दावा नहीं है। उनकी तरफ से यह कहा गया कि संभवत: इंटरनेट

कैफे में निविदा प्रक्रिया के संपादन के क्रम में विपक्षी द्वारा जानबुझ कर इन जाली कागजातों को अपलोड करावा दिया गया है। उनका यह भी कहना है कि यदि उनके द्वारा इन कागजातों को मशीन एवं उपकरण के लिए आधार बनाया जाता तो उनके द्वारा इसका उल्लेख संबंधित हलफनामा में जरूर किया जाता। उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि हलफनामा में जिन 12 (बारह) मशीन एवं उपकरण का उल्लेख है वे सभी कागजात सही पाये गये हैं तथा वे ही मात्र उपकरणों से निविदा की आवश्यक अर्हता को पूरा भी कर लेते हैं। अतिरिक्त मशीनों एवं उपकरणों के कागजात से उन्हें किसी भी वांछित लाभ की अपेक्षा नहीं थी, अतः इन कागजातों को इनके निविदा अभिलेख में लगाये जाने की इन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी।

विषय पर सम्यक रूप से सुनवाई की गयी एवं इससे संबंधित अभिलेखों की गहन समीक्षा की गयी। यह सही है कि निविदाकार द्वारा शपथ पत्र में जिन उपकरणों की सूची का उल्लेख करते हुए इससे संबंधित अभिलेखों की सूची संलग्न की गयी है उसके आधार पर वे निविदा के लिए तकनीकी रूप से योग्य घोषित हो जाते हैं। शपथ पत्र में उल्लिखित मशीनों से संबंधित कागजात में कोई अनियमितता जांचोपरांत नहीं पाया गया है। निविदा दस्तावेज में जो अतिरिक्त कागजात अपलोडेड है तथा जो जांच में सही नहीं पाये गये उसके लिए संवेदक को पूर्ण रूप से दोषी माना जाना तथा उसके विरूद्ध कठोर दण्ड दिया जाना सम्यक न्याय के दृष्टिकोण से बहुत उचित प्रतीत नहीं होता है। विशेषकर तब जब कि निविदा की आवश्यकता के अनुसार दिए गए हलफनामा में इन उपकरणों का उल्लेख भी नहीं है।

सभी तथ्यों पर विचारोपरांत संवेदक के विरूद्ध निर्गत कालीकरण का आदेश जो ज्ञापांक 116 दिनांक 07/03/2016 द्वारा निर्गत है, को संदेह का लाभ देते हुए तथा इस बिन्दु पर विचार करते हुए कि इन कागाजातें को निविदा दस्तावेज में शामिल करने से संवेदक को कोई प्रत्यक्ष लाभ संभावित नहीं था, अतः उन्हें सीधे रूप से दोषी नहीं मानकर, उक्त आदेश को निरस्त किया जाता है एवं उनके निबंधन को बहाल किए जाने का आदेश दिया जाता है।

ह0/-

(अरूण कुमार सिंह)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 5526 **दिनांक-** 13.10.16

प्रतिलिपि- श्री राधेश्याम शर्मा, प्रो0- मेसर्स सागर कंस्ट्रक्शन, ग्राम-लोदीपुर, पो0-बडगांव, जिला-गया, पिन- 824235 को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख (सिंचाई सृजन)

ज्ञापांक- 5526 **दिनांक-** 13.10.16

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग / पथ निर्माण विभाग, पटना / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना / भवन निर्माण विभाग, पटना / लघु जल संसाधन विभाग, पटना / ग्रामीण कार्य विभाग, पटना /सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग / अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण, योजना एवं मो0 अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना / अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मो0 अंचल-2 एवं 3, जल संसाधन विभाग / निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन, जल संसाधन विभाग, पटना/ आई.टी. मैनेजर को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख (सिंचाई सृजन)